

22.08.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता
की उभय ओर उपस्थित। पेशकार सरकार
उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस हुई। प्रार्थी
अपीलाधी द्वारा प्रार्थना पत्र में अतिरिक्त तथ्यों की
हाजिगत रखते हुए प्रार्थी अपीलाधी की प्रार्थना
पर अन्तर्गत धारा 5 भारतीय न्याय अधिनियम
के स्वीकार किया जाकर अपीलाधी द्वारा नसीलदार
आदेश के मुद्दमा संख्या 09/2019 दिनांक
16.12.2019 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुए
प्रतिषेध की अवधि की कुन्तीन किया जाय है किन्तु
सरे इजलास छुटाया गया। पत्रावली फ़ैसलु अंगार
द्वारा नम्बर सैठम है एवं मूल पत्रावली के साम
नली है।

(डॉ. भकरलाल)
जिला कलेक्टर, सिरोही

